3/15

पत्र संख्या अ0प्रा0-1-विविध-1/99/ 1964/वि0,
बिहार सरकार,
वित्त विभाग ।

पटना, दिनांक 25/4/2001

प्रेषक,

भानु प्रताप शर्मा,
अपर वित्त आयुक्त (व्यय) ।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार,
बिहार एवं झारखण्ड,
राँची ।

विषय:- एम0 आई0 सी0 आर0 चेक का प्रचलन बंद होने के संबंध में ।

महाशय,

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पत्रांक डी0 जी0 बी0 ए0, जी0ए0 डी0 नं0-1537/3128005/2000-01 दिनांक 7-2-2001 से यह सूचना दी है कि गैर एम0 आई0 सी0 आर0 चैकों के उपयोग का वे 30-6-01 से बंद करना चाहते है (पत्र की छाया प्रति संलग्न) ।

बिहार कोषागार संहिता भाग 1 के नियम 194 के आलोक में चेक पुस्तों की आपूर्ति महालेखाकार द्वारा निकासी पदाधिकारियों को समय-समय पर की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के उपर्युक्त अनुरोध के आलोक में यह आवश्यक होगा कि 15 जून 2001 तक कोषागारों को एम0आई0सी0आर0संबंधित चेकों की आपूर्ति करा दी जाय ।

अतः अनुरोध है कि एम0 आई0 सी0 आर0 चेक बुक की तदनुसार आपूर्ति सुनिश्चित करवाने की कृपा की जाय। अगर किसी कारणवश चेक की आपूर्ति 15-6-2001 तक किया जाना सम्भव नहीं हो तो, भारतीय रिजर्व बैंक से इस आशय का अनुरोध समय रहते किया जाय ताकि 30-6-2001 की निर्धारित समय सीमा को वे आगे बढ़ा दें ।

विश्वासभाजन,

(भानु प्रताप शर्मा)
अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक 1864/वि   वि0, पटना, दिनांक 25/4/2007

प्रतिलिपि आयुक्त एवं सचिव/सचिव/सभी कार्य विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(भानु प्रताप शर्मा)
अपर वित्त आयुक्त (व्यय)

ज्ञापांक 1864/वि   वि0, पटना, दिनांक 25/4/2007

सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

2:- अनुरोध है कि आवश्यकता के आलोक में प्रधान महालेखाकार कार्यालय से एम0आई0 सी0 आर0 चेक पुस्तों की आपूर्ति करने हेतु अनुरोध किया जाय ।

(भानु प्रताप शर्मा)
अपर वित्त आयुक्त (व्यय)
20/4